



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान व्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र
महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005
फोन- 0771--2282530/2285590/95 मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com

No- CHG/BLS/LST-03/NGP

दिनांक -31/01/2019

प्रेषिति- श्री नीरज अखौरी, नामित मालिक

M/S ए.सी.सी लिमिटेड.

जमूल सीमेंट वर्क्स, पोस्ट-दुर्ग,
जिला-दुर्ग(सी.जी.)-490024

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुरजिले में स्थित आपकी चिलहाती चूना खदान 582.962 है. मे खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 10.01.2019 by undersigned accompanied by Sri PP Pandey, DGM(Mine) & Shri Harindra Singh, Qualified Person.

Rule	Nature of Violation observed
Rule 55	For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance with these rules,— 3. every holder of a mining lease shall employ, in case of— iii. category 'A' mines, a whole-time mining engineer and a geologist; But it was observed that Mining Engineer & Geologist not appointed till date

- 2 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम् इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत
(क) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है 1
3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करे एवम् इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान व्यूरो, नागपुर
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर